पत्रांक –3/एम०– 36/2019सा0प्र0 10710/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

गुफरान अहमद
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक
सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक

पटना, दिनांक 5.8. 2019

विषय– सरकारी सेवक के विरुद्ध दायर कोई आपराधिक वाद अथवा आपराधिक वाद में सक्षम न्यायालय में सरकारी सेवक के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किये जाने की सूचना ससमय उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशनुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि सरकारी सेवा में प्रथम नियुक्ति के पूर्व संबंधित अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन का प्रावधान सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–1859 दिनांक– 08.07.2006 द्वारा किया गया है।

2. साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जानकीरमण मामले में पारित न्यायादेश के आलोक में किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही संचालित रहने पर उसके प्रोन्नति पर विचार नहीं किये जाने का प्रावधान सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–7457 दिनांक–11.09.2002 एवं 7979 दिनांक– 06.11.2003 द्वारा संसूचित है। इन परिपत्रों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आपराधिक कार्यवाही का प्रारम्भ उस तिथि से माना जायेगा जिस तिथि को आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय में अभियोग पत्र दायर किया गया हो।

3. प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि संबंधित सरकारी सेवक द्वारा उनके विरुद्ध दायर आपराधिक मामले की सूचना नियुक्ति प्राधिकार/कार्यालय प्रधान को उपलब्ध नहीं करायी जाती है। कभी कभी संबंधित अभियोजन एजेंसी द्वारा भी किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोग पत्र दायर किये जाने की सूचना संबंधित सरकारी सेवक के नियुक्ति प्राधिकार/कार्यालय प्रधान को उपलब्ध नहीं करायी जाती है। फलस्वरूप सरकारी सेवक के स्थापना संबंधी मामलों में निर्णय लिये जाने में असुविधा होती है तथा गलत निर्णय लिये जाने की सम्भावना भी बनती है।

4. अतः सम्यक् विचारोपरान्त निदेश दिया जाता है कि–

(i) यदि किसी सरकारी सेवक के सेवाकाल में उनके विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध का आपराधिक वाद दायर किया जाता है तो उसके संबंध में संबंधित सरकारी सेवक द्वारा उनके विरुद्ध दायर आपराधिक वाद के संबंध में अपने प्रशासी विभाग को जानकारी दिया जाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं किया जाना कदाचार माना जायेगा।

(ii) यदि किसी सरकारी सेवक के सेवाकाल में आपराधिक वाद में सक्षम न्यायालय द्वारा अथवा आरोप पत्र गठित किया जाता है तो आरोप पत्र गठित किये जाने वाले प्राधिकार द्वारा इसकी सूचना संबंधित प्रशासी विभाग को दिया जाना अनिवार्य होगा।

5. उपर्युक्त निदेशों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने अधीनस्थों को भी निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

3/8/17

(गुफरान अहमद)
सरकार के उप सचिव।